

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

अतिशय

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1975/भाद्र 4, 1897

No. 325] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1975/BHADRA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th August 1975

S.O. 449(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Export (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eighteenth Amendment Order, 1975.
2. In the Exports (Control) Order, 1968, the following proviso shall be added after clause 11(1)(c) :—

"Provided that the wild life (dead or alive, or part thereof or produce therefrom) specified in Part 'A' of Schedule I shall not be treated as constituting such personal baggage."

[No. E(C)O, 1968/AM(163)]

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

(1949)

वाणिज्य सञ्चालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का० आ० 449 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 18वां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में अनुच्छेद 11(1) (सी) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:—

“बशर्ते कि अनुसूची-1 के भाग ‘ए’ में उल्लिखित जंगली जन्तु (मृत या जीवित, या उसका अंग या उसका उत्पाद) ऐसे निजी असबाब के रूप में नहीं समझा जाएगा।”

[संख्या: ई(सी) ओ, 1968/ए एम (163)]

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।